

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा जिला-भीलवाड़ा

पीठारसीन अधिकारी :- गहीपाल सिंह आर०ए०एस०

मुकदमा संख्या :- 36/2021 **प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021**

1. कन्हैयालाल स० सोहनलाल मावी लि० करेड़ा- वल्लभकरेड़ा- को  
प्रार्थी.....

बनाम

1. ~~करेड़ा~~ सोहनलाल मावी लि० करेड़ा- वल्लभकरेड़ा- को  
विपक्षीगण..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०मू०रा०अधि० 1956

:: आदेश ::

दिनांक 11/11/21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०मू०रा०अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ~~करेड़ा~~ पटवार हल्का ~~करेड़ा~~ तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त खातों की खाता संख्या <sup>36</sup> आराजी नम्बर 8105/2852  
2.5293

कुल किता 1 रकबा 2.5293

हैक्टेंयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 11/11/21 को पंजीवद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम ~~करेड़ा~~ पटवार हल्का ~~करेड़ा~~ तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या <sup>36</sup> आराजी नम्बर 8105/2852  
2.5293

कुल किता 1 रकबा 2.5293

हैक्टेंयर भूमि के ~~दोनों~~ तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक ~~करेड़ा~~ को 850/- रुपये कमिश्नर फीरा पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

संलग्न:- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

**प्रभास अधिकारी**  
**उपखण्ड अधिकारी**  
करेड़ा जिला-भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर निमित्तुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

**प्रभास अधिकारी**  
**उपखण्ड अधिकारी**  
करेड़ा जिला-भीलवाड़ा

PP36/20 21

2021/1001